


आदेश:-

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1-मु0म0/60-3-14-13(7)/14 09-6-2015 से स्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2293/11-3-2014-140/14 दिनांक 04-7-2014 के क्रम में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम-2013 के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा-4 के अनुसार निम्नलिखित "आंतरिक परिवाद समिति" का गठन कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 22-6-2015 से किया गया है:-

1	श्रीमती बबिता तिवारी, ज्वाइन्ट कमिश्नर,वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ सम्बद्ध कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,30प्र0 विभूति खण्ड, गोमतीनगर,लखनऊ-226016. मो0नं0-8765981000.	अध्यक्ष
2	श्रीमती रुही सक्सेना, डिप्टी कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर, मुख्यालय विभूति खण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ -226016. मो0नं0-8765980575.	सदस्य
3	श्री शक्ति प्रताप सिंह, डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी,वाणिज्य कर,मुख्यालय विभूति खण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ -226016. मो0नं0-8765980576.	सदस्य
4	श्री फखरुद्दीन, अध्यक्ष, रुरल एक्टिव सोसायटी आफ इन्ड्रोक्टीनेट (रसोई) मकान नं0-जी-1,रुकमणी अपार्टमेंट,6 चन्द्रलोक,अलीगंज,लखनऊ-226018. मो0नं0-8795829082.	सदस्य

2- उक्त समिति यथा आवश्यकतानुसार बैठकें आहूत करके उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करेगी।



(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- संयुक्त सचिव,महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम-2013" के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा-6/7 के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों एवं जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समितियों का गठन कर उसकी सूचना मुख्यालय को भी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- अपर निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर,गोमतीनगर,लखनऊ ।
- 5- उक्त समिति के समस्त नामित अध्यक्ष/सदस्यों को नाम से ।
- 6- मुख्यालय के समस्त अनुभाग।
- 7- असिस्टेंट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट में डालने हेतु।


एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।